

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

सत्यम भवन, भोपाल-462004

क्रमांक-910/832/2017/20-3
प्रति,

भोपाल, दि० 25/5/2017

सचिव
सी०बी०एस०ई०
नई दिल्ली।

विषय:- अक्षासकीय संस्थाओं को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने काकम्।

राज्य शासन एतद् द्वारा अक्षासकीय संस्था (1) माउन्ट लिटेल जी स्कूल जबलपुर (2) दिल्ली पब्लिक इन्टर मेसजल मिमरानी-दामनोद, जिला वार को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र विम्वलितित्त शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-


- (1) प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी है, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाय।
- (2) विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करावेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जाय।
- (3) इस संस्थाओं के संचालन में अनिश्चितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (4) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (5) संस्था की प्रबंध कार्यिणी समिति में म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करवा अनिवार्य होगा।
- (6) प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्वक भूतिका प्रदान करेंगे।

बिन्दु 2

4

- (7) अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क तथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।
- (8) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से कय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से कय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
- (9) शिक्षण संस्थाओं में मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा।
- (10) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल0पी0जी0 आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (11) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रैम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
- (12) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों भी नहीं रखी जा सकेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(प्रमोद सिंह) 25/5/17
उप सचिव

म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दि0 25/5/2017

पृ0 क्रमांक-911 /918/2017/20-3

प्रतिलिपि:-

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।
(2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।
(3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, इंदौर/जबलपुर, म0प्र0

निरन्तर...3

- (4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जवाहरपुरा, मण्डल
 - (5) प्राचार्य, अत्याधुनिक संस्था (1) माऊथ सिटीज जी एमएन जवाहरपुर (2) टिपनी पब्लिक इन्टर मेडियम डिपार्टमेंट-वाकनोदर, जिला जवा, मण्डल
 - (6) प्रोक्टर प्रोवि
- सुधामाई एवं अमरनाथ कार्यालयी हेतु अवैधितः

Prati
25/5/17

25 अप्रैल
सहायक प्राचार्य, जिला शिक्षा विभाग